न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 247/2017 एल आर एक्ट (GCMS No 2017/ 00075)
अनवान नन्दलाल बनाम किशनलाल वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के अपील सं. 6/2016 दिनांक 21.11.2016

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
18.10.2022	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने दिनांक 14.09.2022 को प्राथमिक कानूनी आपत्ति बाबत अपील अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी पेश कर अपील खारिज कर दाखिल दफ्तर करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने दिनांक 21.09.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र सव्यव खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील में वर्णित भूमि बाबत इन्ही पक्षकारो के बीच राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी जैरकार है। जिसकी आगामी पेशी दिनांक 08.12.2022 नियत है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपीलाधीन भूमि पर रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे जाने का स्थगन आदेश दिनांक 26.06.2018 पारित हो चुका है तथा हायर कोर्ट का इसी भूमि बाबत स्थगन आदेश होने के कारण अपील में किसी प्रकार से तथ्यो पर निर्णय नही किया जा सकता है। इसी प्रकरण से संबधित पत्रावली में इसी अदालत द्वारा अपील को दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश पारित किया था। अतः राजस्व मण्डल के निर्णय तक अपील को खारिज कर दाखिल दफ्तर की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक अपने कथन के समर्थन मे RRD 2010 पृष्ठ 556–557, RRD 2013 पृष्ठ 512– 515, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक जिस स्थगन का हवाला दे रहे है वह इस प्रकरण पर लागू नही होता है। राजस्व मण्डल द्वारा केवल पालना रोकी जाने का स्थगन आदेश है। उस स्थगन मे किसी न्यायालय को कार्यवाही रोके जाने का आदेश नही दिया गया है, रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दावा के खिलाफ राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की तथा उक्त दावा इस अपील के पेश होने से पहले से चल रहा है। इसी प्रकरण से संबधित पत्रावली में इसी अदालत द्वारा अपील को दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश पारित नही किया था, वह प्रकरण दानाराम बनाम ग्राम पंचायत लौगेवाला में निर्णय दिया गया था। उक्त आदेश इस प्रकरण से संबधित नही है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नही होते है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र सव्यव खारिज कर अपील मे बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। ....लगातार............... अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	

प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के निर्णय दिनांक 21.11.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने चक 7 एमकेएस तहसील टिब्बी के पत्थर नं. 193/231 मु. नं. 36 किला नं. 1,10,11, 20, 21 व पत्थर नं. 193/232 मु. नं. 37 के किला नं. 1,10 की कुल 1.771 है. कृषि भूमि के संबध में स्वीकृत नामान्तकरण सं. 233 दिनांक 7.6.2010 के विरूद्व प्रस्तुत होने पर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 से अपील को स्वीकार करते हुए नामान्तकरण सं. 233 दिनांक 7.6.2010 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं.1 के नाम ब. हि. ब. रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये, जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है। नामान्तकरण सं. 233 दिनांक 7.6.2010 दर्ज होने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के द्वारा मु. नं. 228/2010 अनुवान औकार मल बनाम गीता देवी में निर्णय दिनांक 13.9.2010 द्वारा अपील में वर्णित भूमि का खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 को घोषित किया गया, जिसकी पालना में नामान्तकरण सं. 236 दिनांक 23.9.2010 स्वीकृत हुआ तत्पश्चात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 के मध्य अपीलाधीन भूमि का खाता विभाजन होकर नामान्तकरण सं. 244 दिनांक 10.12.2010 स्वीकृत हुआ। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 13.09.2010 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील सं. 71/2011 प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय दिनांक 25.05.2018 को उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का निर्णय दिनांक 13.9.2010 जिसके द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 3 को खातेदार घोषित किया गया था को निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट ने एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील/डिक्री डी.बी. सं. 4281/18 प्रस्तुत की गई है जिसमे दिनांक 26.06.2018 को विवादित आराजी के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित है। उक्त अपील वर्तमान में विचाराधीन है जिसमे आगामी पेशी दिनांक 08.12.2022 नियत है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि के संदर्भ मे नियमित वाद/ अपील पक्षकारान के मध्य माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति आदेश पारित किये हुए है। प्रस्तुत अपील नामान्तकरण के विरूद्व है जो कि एक (Fiscal) फिस्कल कार्यवाही है, विधि के सर्वमान्य मत है कि जब पक्षकारो के मध्य नियमित वाद विचाराधीन हो तब (Fiscal) फिस्कल कार्यवाही को रोक दिया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार कर अपील अपीलान्ट खारिज कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। । आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर